न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–448 / 2017 (RCMS No. 2017 / 00477) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. शंकर पुत्र श्योजी
2. मुकेश पुत्र श्योजी
3. राजेश पुत्र श्योजी
4. मु0 केसर पत्नी श्योजी

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम आटूनकलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर

5. बसन्ती पत्नी रामसहाय पुत्री श्योजी जाति मीना निवासी आदलवाडा खुर्द तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

..........अपीलान्टस

बनाम

1. शोरंग पुत्र सुरजन जाति मीना निवासी आटून कलां तह0 व जिला सवाई माधोपुर
2. सरपंच ग्राम पंचायत आटून कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर

..........रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर दिनांक 11.07.17 व नामा0 संख्या 24 दिनांक 26.06.2000 वाके ग्राम आटून कलां तहसील सवाई माधोपुर

उपस्थितिः–

1. श्री कमलेश कुमार जैन, वकील अपीलान्टस
2. श्री चिरंजी लाल सैनी, वकील रैस्पोडैन्टस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य **दिनांक :– 31.07.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 11.07.17 एवं सरपंच ग्राम पंचायत आटूनकला द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण सं0 24 दिनांक 26.06.2000 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी ख0 नं0 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 9015 कुल किता 9 रकवा 18 बीघा 16 विस्वा वांके ग्राम आटूनकला तहसील व जिला सवाई माधोपुर के खातेदार नानगा

पुत्र श्योनारायण बाबाजी ने अपना 1/10 हिस्से का वयनामा सोरंग पुत्र सुरजन मीना को दिनांक 14.06.2000 को पंजीकृत कराया था। जिसका नामान्तरकरण सं0 24 दिनांक 26.06.2000 को सरपंच ग्राम पंचायत आटुनकलां द्वारा तस्दीक किया गया। इस आदेश के विरूद्ध शंकर वगैरहा ने शोरंग के विरूद्ध उप जिला कलक्टर के न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि विवादित आराजी के संबंध में लक्ष्मीनारायण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में दायर अपील जेरकार है। जिसमें रैस्पो0 सं0 1 पक्षकार है। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट की अपील दिनांक 13.04. 2006 को स्वीकार करते हुऐ डिक्री पारित की है। उक्त निर्णय के विरूद्ध लक्ष्मीनारायण ने राजस्व मण्डल में अपील पेश की है जिसमें राजस्व मण्डल ने आरएए के निर्णय की पालना मण्डल के अन्य आदेश होने तक स्थिगित कर दी है। इसके बाबजूद भी नामा0 सं0 24 का वर्तमान जमाबन्दी सं0 2070 से 2073 में कर दिया है। विवादित आराजी के संबंध में दावा 1997 से न्यायालय में विचाराधीन है। दौराने दावा रैस्पो0 सं0 1 ने पटवारी हल्का व सरपंच से साज कर अवैध नामा0 तस्दीक करवा लिया है। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 निरस्त किया जावे तथा जमाबन्दी में दौराने स्थगन जो आदेश का इन्द्राज किया गया है, उसे हटाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर दर्ज नामा0 को सही माना तथा राजस्व मण्डल का स्थगन होने से प्रकरण में आगामी कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.06.17 को ग्राम आटूनकला में राजस्व कैम्प का आयोजन किया गया था। वहॉ पर अपीलान्ट की अपील का किसी प्रकार से कोई भी निर्णय पारित नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारान की उपस्थिति के दिनांक 11.07.17 में निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट को दिनांक 11.07.17 को उपस्थित होने बाबत् कोई सूचना नही दी गयी और न ही कोई भी पक्षकारान वहॉ पर उपस्थित हुऐ। उनका तर्क है कि राजस्व मण्डल अजमेर के यहॉ से स्थगन जारी हो रहा है। ऐसी स्थिति में आगामी कार्यवाही किया जाना संभव नही है व अपील का बिना किसी सुनवाई के बिना सूचना के निस्तारण कर व दाखिल दफ्तर करने का आदेश विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट व रैस्पो0 संख्या 1 एवं लक्ष्मीनारायण आदि के मध्य घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में वर्ष 1997 से विचाराधीन है। न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय सवाई माधोपुर में दावा विचाराधीन था, जिसका निर्णय दिनांक 11.12.2002 को किया जाकर दावा डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध श्योजी ने कैलाश वगैरहा के विरूद्ध आरएए स0मा0 में अपील पेश की थी जो दिनांक 13.04.2006 को स्वीकार होकर एसीएम का निर्णय दिनांक 11.12.2002 निरस्त कर दिया तथा रैस्पो0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कर दिया। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध लक्ष्मीनारायन पुत्र कल्याण दास ने श्योजी वगैरहा के विरूद्ध अपील राजस्व मण्डल में की है, जिसमें मण्डल के आगामी आदेश होने तक स्थगन जारी किया गया है। इसके बाबजूद भी नामा0 का अमल जमाबन्दी में कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई सूचना के पत्रावली को कैम्प में दिखाकर, बिना पक्षकारान की उपस्थिति के विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.07.17 व नामा0 सं0 24 दिनांक 26.06.2000 निरस्त किये जावे तथा स्थगन के बाबजूद जमाबन्दी में किये गये इन्द्राज को निरस्त किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि रैस्पो0 ने विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 14.06.2000 क्रय की थी। जिसका नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत आटुनकलां द्वारा दिनांक 26.06.2000 को तस्दीक कर दिया। रैस्पो0 एक सद्‌भावी क्रेता है जिसने राशि देकर भूमि को क्रय किया है। राजस्व रिकार्ड में बिना किसी कारण के अमल नही किया गया। रैस्पो0 ने पुनः अमल करने के लिये सक्षम अधिकारियों से निवेदन किया तब जमाबन्दी सं0 2070 से 2073 में अमल किया गया है। राजस्व रिकार्ड में अमल सही किया गया है। क्योंकि उक्त आराजी रैस्पो0 जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की है तथा मौके पर कब्जा भी प्राप्त किया है। नामा0 वयनामा के आधार पर दर्ज किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। जहॉ तक स्थगन का प्रश्न है। जमाबन्दी में अमल के लिये कोई स्थगन आदेश राजस्व मण्डल का नही है। नामा0 का अमल होने के बाद स्थगन का नोट जमाबन्दी में लगाया गया है। इससे पूर्व कोई स्थगन का नोट अंकित नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने भी वयनामा के आधार पर दर्ज नामा0 को सही माना है तथा राजस्व मण्डल का स्थगन होने से ही कार्यवाही स्थिगित की है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अटल सेवा केन्द्र अटूनकला पर दिनांक 26.05.17 को उपस्थित होने के लिये न्यायालय से नोटिस लोक अदालत पत्रांक 679–80 दिनांक 08.05.17 से जारी हुऐ हैं जो नोटिस पर पत्र प्रेषण का नम्बर व दिनांक अंकित है। परन्तु आदेशिका पर 679–80 दिनांक 12.05.17 अंकित है। कौनसा पत्रांक सही है, यह स्पष्ट नही हो रहा है। पत्रावली की आदेशिका के अनुसार दिनांक 15.03.17 में आगामी पेशी 02.05.17 नियत की है और 02.05.17 को आगामी पेशी 15.06.17 नियत की है। दिनांक 15.06.17 के बाद सीधे 11.07.17 में निर्णय पारित किया है। जबकि दिनांक 11.07.17 की लोक अदालत होने का कोई उल्लेख आदेशिका से जाहिर नही हो रहा है। लोक अदालत की कोई आदेशिका नही लिखी गयी है। इससे जाहिर होता है कि पक्षकारों को तो पता ही नही है कि कैम्प में कब उपस्थित होना है। क्योंकि नोटिस दिनांक 26.05.17 को हाजिर होने के निकाले हैं और निर्णय दिनांक 11.07.17 को किया है। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारों को सुने बिना ही निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित नही कहा जा सकता है।

जहॉ तक मैरिट का प्रश्न है, राजस्व मण्डल से दिनांक 10.05.2006 को विवादित आराजी के संबंध में स्थगन जारी हुआ है। उक्त प्रकरण दिनांक 02.02.17 तक राजस्व मण्डल में जैरकार है। जैसाकि पत्रावली में उपलब्ध राजस्व मण्डल में दायर अपील व आदेशिका की फोटो प्रति से जाहिर है। उक्त नामान्तरकरण का अमल जमाबन्दी स0 2070 से 2073 में स्थगन होने के बाबजूद किया गया है। बाद में स्थगन का नोट भी जमाबन्दी में अंकित किया गया है, जो विधि सम्मत् नही है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त आराजी के संबंध में जो निर्णय किया जायेगा, उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जायेगा। तब तक उक्त नामान्तरकरण का अमल नही किया जाना चाहिये था। ऐसे अवैधानिक रूप से किये गये इन्द्राज को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.07.2017 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते हैं कि जमाबदी सं0 2070 से 2073 में किये गये नामा0 सं0 24 निर्णय दिनांक 26.06.2000 के अनुसार किये गये इन्द्राज को निरस्त किया जावे। राजस्व मण्डल में जेरकार अपील प्रकरण 2981/2006 के निर्णयानुसार ही राजस्व रिकार्ड में तब्दीली की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official